फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

आकाशदीपसिंह बनाम गुरप्रीतसिंह आदि

किस्म मुकदमा 88 , आर.टी.एक्ट. नम्बर 583/2019 सन–2019

तरीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल जज	नम्बर व तारिख
07.08.2019	वादी अभिभाषक की ओर से वाद पत्र जरिये अभिभाषक पेश हुआ जिस पर रिपोर्ट सीगेदार हो चुकी है। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 18.10.2019 को पेश हो।	
	पत्रावली पेश हुई पीठासीन पी.ओ. साहब का स्थानान्तरण हो गया है व नवनियुक्त उप खण्ड अधिकारी श्री रविन्द्र गोदारा एडवोकेट प्रतिवादी सं. 1 का वकालतनामा पेश किया तथा प्रतिवादी सं. 1 का जवाब प्रस्तुत हेतु पत्रावली दिं. 7.11.19 को पेश हो।	
7.11.19	पत्रावली पेश हुई पीठासीन पी.ओ. साहब वार्षिक अवकाश पर हैं। पत्रावली दिं. ..... को पेश हो। 10.1.20	
25/11/19	वादी स्वयं व वादी के अधिवक्ता के निवेदन पर पत्रावली पेशी में ली गई। वादी/वकील वादी ने निवेदन किया की उन पक्षकारों का आपस में राजीनामा की चुका है इसलिये वाद वापस लेना चाहते वाद वादी स्वयं लेना चाहें। वादी स्वयं के वाद मूल वाद वापस लेने के कारण वाद वादी स्वयं किया गया है पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। आगे कार्यवाही नहीं हुआ।	आकाशदीप सिंह पठानिया एडवोकेट पक्षकारों स्वीकृत। उपखण्ड अधिकारी नोहर

Scanned with CamScanner